रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072023-247631 CG-DL-E-26072023-247631

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439] No. 439] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 559(अ).—केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि (सीडीएमडीएफ) द्वारा लिए गए/लिए जाने वाले ऋण के लिए गारंटी कवर प्रदान करने के उद्देश्य से ' कॉरपोरेट ऋण के लिए गारंटी योजना' (जीएससीडी) को मंजूरी दे दी है।

1. योजना/निधि का नाम

इस योजना का नाम कॉरपोरेट ऋण गारंटी योजना (जीएससीडी) होगा और इस योजना के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट/फंड का नाम कॉर्पोरेट ऋण गारंटी फंड (जीएफसीडी) होगा।

जीएफसीडी आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट फंड होगा और इसका प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा किया जाएगा, जो वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

2. योजना का उद्देश्य

सीडीएमडीएफ द्वारा लिए गए/लिए जाने वाले ऋणों के लिए 100% गारंटी कवर प्रदान करना, बाजार को स्थिर करने की दृष्टि से बाजार अव्यवस्था के समय कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने के उद्देश्य से सेबी विनियमों के अंतर्गत एक वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) सृजित की गई है/की जाएगी। इस गारंटी में अर्जित ब्याज और

4859 GI/2023 (1)

उस पर अन्य बैंक प्रभारों के साथ लिए गए ऋण को शामिल किया जाएगा और यह 30,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। सीडीएमडीएफ की रूपरेखा का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

3. प्रारंभ की तिथि

योजना के दिशा-निर्देश इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

4. योजना की अवधि

यह योजना शुरू में सीडीएमडीएफ की प्रारंभिक अंतिम तिथि से 15 वर्षों की अवधि के लिए होगी, जिसे सेबी के परामर्श से आर्थिक कार्य विभाग के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है।

5. परिभाषाएँ

इस योजना के प्रयोजनों के लिए -

- (i) "बैकस्टॉप सुविधा" विशेष रूप से बाजार अव्यवस्था के दौरान निवेश ग्रेड ऋण प्रतिभूतियों की खरीद को सक्षम करने के लिए बनाए जा रहे संस्थागत ढांचे को संदर्भित करती है।
- (ii) "कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि (सीडीएमडीएफ)" का अर्थ बाजार को स्थिर करने की दृष्टि से बाजार में अव्यवस्था के समय कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने के उद्देश्य से सेबी विनियमों के तहत सृजित किया गया/किया जाने वाला बाज़ार एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) है।
- (iii) "सीडीएमडीएफ का कोष" का अर्थ सीडीएमडीएफ को समर्पित कुल धनराशि है;
- (iv) "फ्रेमवर्क" का अर्थ सीडीएमडीएफ का ढांचा है
- (v) "निवेश ग्रेड ऋण प्रतिभूतियां" का अर्थ निवेश करने के समय सेबी में पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा मूल्यांकन के अनुसार "बीबीबी- (ट्रिपल बी माइनस)" या समकक्ष की न्यूनतम रेटिंग वाली ऋण प्रतिभूतियां हैं।
- (vi) "सदस्य ऋण देने वाले संस्थान (एमएलआई)" का अर्थ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/जीएफसीडी द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय मध्यस्थ सहित ऋण देने वाले संस्थान है।
- (vii) "गारंटी कवर की अवधि" का अर्थ गारंटी कवर की अधिकतम अवधि है;
- (viii) "बाजार अव्यवस्था" अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र में तनाव को संदर्भित करता है और फ्रेमवर्क के अनुसार सेबी बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

6. सीडीएमडीएफ के पात्र यूनिटधारक और उनका योगदान

सीडीएमडीएफ के पात्र सदस्य होंगे:

- (i) ऋण-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाएं, जैसा कि सेबी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। ये योजनाएं अपने प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एयूएम) में 25 बीपीएस का योगदान देंगी और अर्ध-वार्षिक आधार पर उनके एयूएम बढ़ने पर अतिरिक्त वृद्धिशील अंशदान करेंगी।
- (ii) निर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाओं की मौजूदा/नई परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) अपने एयूएम के 2 बीपीएस के बराबर एकमुश्त अंशदान करेंगी।

ऋण-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं और उनके एएमसी द्वारा किए गए अंशदान सीडीएमडीएफ की इकाइयों में निवेश के रूप में रखे जाएंगे।

7. सीडीएमडीएफ की गतिविधियाँ

फ्रेमवर्क की कुछ बुनियादी विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- (i) सीडीएमडीएफ की गतिविधियों की निगरानी सेबी द्वारा नियमित आधार पर की जाएगी;
- (ii) सामान्य समय में, सीडीएमडीएफ केवल अपने कोष का उपयोग करके, केवल नकदी और कम जोखिम वाले ऋण लिखतों का सौदा करेगा;

- (iii) बाजार अव्यवस्था के समय में, सीडीएमडीएफ बैंकों या बांड बाजार या रेपो बाजार से अपने कोष में अंशदान के 10 गुना से अधिक ऋण लेने के लिए पात्र नहीं होगा, जो योजना के तहत 30,000 करोड़ रुपये की अधिकतम गारंटी के अधीन होगा।
- (iv) सीडीएमडीएफ के कोष और सीडीएमडीएफ द्वारा जुटाए गए ऋण का उपयोग भाग लेने वाले निवेशकों से निवेश ग्रेड की पात्र कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने और रखने के लिए किया जाएगा, जिनकी शेष परिपक्वता अविध 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी;
- (v) सीडीएमडीएफ बाजार अव्यवस्था की अवधि के अंत से 3 महीने के उचित समय के भीतर अपनी हिस्सेदारी का एक बड़ा हिस्सा बेच देगा। हालाँकि, सेबी बोर्ड की मंजूरी से समयसीमा बढ़ाई जा सकती है।

8. गारंटी जारी करना और निगरानी तंत्र

- (i) एमएलआई, सीडीएमडीएफ के आवेदन की उचित जांच के बाद, सीडीएमडीएफ को ऋण स्वीकृत करेगी और उक्त उद्देश्य के लिए डिज़ाइन किए गए एनसीजीटीसी के पोर्टल पर अपेक्षित विवरण दर्ज करेगी।
- (ii) पोर्टल द्वारा प्रारंभिक जांच और एनसीजीटीसी द्वारा अनुमोदन के आधार पर एक गारंटी संख्या, उक्त ऋणों पर गारंटी की उपलब्धता का संकेत देते हुए स्वतः उत्पन्न हो जाएगी।
- (iii) एक बार एमएलआई को गारंटी नंबर जारी होने के बाद, एमएलआई संवितरण के दो दिनों के भीतर एनसीजीटीसी के पोर्टल पर सीडीएमडीएफ को वितरित ऋण का विवरण दर्ज करेगा।
- (iv) सीडीएमडीएफ दैनिक आधार पर एनसीजीटीसी के पोर्टल पर ऋण के उपयोग का विवरण अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा।
- (v) सीडीएमडीएफ का अधिकृत व्यक्ति बिक्री के दिन ही एनसीजीटीसी के पोर्टल पर ऋण लिखतों की बिक्री का विवरण दर्ज करेगा।
- (vi) निकासी राशि के लिए गारंटी बाजार अव्यवस्था के अंतिम दिन से पांच साल की अवधि के लिए वैध रहेगी। हालाँकि, दावे के मामले में गारंटी दावे की तारीख तक वैध होगी।

9. गारंटी निपटान तंत्र

- (i) सीडीएमडीएफ इस संबंध में वैधानिक लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र के साथ ढांचे में समझाए गए प्रवाह तंत्र (वाटरफॉल मैकेनिज्म) के अनुसार किए गए निपटान का विवरण दर्ज करेगा;
- (ii) अनुमानित नुकसान के आधार पर, नुकसान को प्रमाणित करने वाले वैधानिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र के साथ, एमएलआई एनसीजीटीसी के पोर्टल पर दावा प्रस्तुत करेगा।
- (iii) उपरोक्त (i) और (ii) के विवरण के आधार पर, यदि किसी भी स्तर पर जीएफसीडी द्वारा कोई भुगतान किया जाता है, तो एनसीजीटीसी उसका आकलन करेगा और अगले 60 दिनों में एमएलआई को गारंटीकृत राशि का भुगतान करने की व्यवस्था करेगा।

10. गारंटी शुल्क

जब तक दावा दर्ज नहीं किया जाता है, तब तक जीएफसीडी दैनिक प्रो-रेटा आधार पर बकाया ऋणों के 0.5% प्रति वर्ष की दर से गारंटी शुल्क लेगा (अर्थात उस अविध के लिए जिसके लिए ऋण उठाए गए हैं)। इस शुल्क का भुगतान एमएलआई द्वारा किया जाएगा। गारंटी शुल्क के लिए मांग बीजक स्वत: उत्पन्न हो जाएगी और पिछली तिमाही के दौरान बकाया ऋणों के लिए प्रत्येक तिमाही के पहले दिन एमएलआई के अधिकृत अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी। एमएलआई इस गारंटी शुल्क को सीडीएमडीएफ से वसूल करेंगे।

11. सीडीएमडीएफ द्वारा निष्पादित किया जाने वाला समझौता

सीडीएमडीएफ उपलब्ध कराए जाने वाले प्रारूप के अनुसार योजना के संचालन के लिए एनसीजीटीसी को विधिवत हस्ताक्षरित वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा और एमएलआई को लागू गारंटी शुल्क का भुगतान करने की व्यवस्था करेगा।

12. एमएलआई द्वारा निष्पादित किया जाने वाला समझौता

कोई एमएलआई सीडीएमडीएफ को उसके द्वारा दिए गए पात्र ऋणों के संबंध में गारंटी का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि उसने उपलब्ध कराए जाने वाले प्रारूप के अनुसार एनसीजीटीसी को विधिवत हस्ताक्षरित वचन पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो।

13. योजना के तहत सीडीएमडीएफ की जिम्मेदारियां

- (i) समय-समय पर एनसीजीटीसी के पोर्टल पर सीडीएमडीएफ के योगदानकर्ताओं का अद्यतन विवरण प्रस्तुत करें।
- (ii) सीडीएमडीएफ बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार एमएलआई से ऋण जुटाएं।
- (iii) समय-समय पर एमएलआई को गारंटी शुल्क का भुगतान।
- (iv) पात्र ऋण प्रतिभूतियों की खरीद के लिए एक पारदर्शी तंत्र का अनुसरण करना और समय-समय पर सेबी द्वारा निर्धारित ढांचे में उल्लिखित सभी विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करना।
- (v) ऋण बकाया होने तक की अवधि के दौरान दैनिक आधार पर खरीदी गई ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य संचलन प्रदान करने की व्यवस्था करना;
- (vi) जीएफसीडी की आवश्यकता के अनुसार सुनिश्चित तौर पर विवरण और जानकारी प्रदान करना।

14. योजना के तहत एमएलआई की जिम्मेदारियां

- (i) समय-समय पर जीएफसीडी को गारंटी शुल्क का भुगतान;
- (ii) जीएफसीडी की आवश्यकता के अनुसार सुनिश्चित तौर पर विवरण और जानकारी प्रदान करना;
- (iii) योजना के दिशा-निर्देशों के संबंध में जीएफसीडी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन।

15. योजना के तहत सेबी की जिम्मेदारियां

- (i) सीडीएमडीएफ का गठन;
- (ii) एक बार बैकस्टॉप सुविधा सक्रिय हो जाने के बाद, अर्थात बाजार अव्यवस्था घोषित कर दी जाती है, तो सेबी हर पखवाड़े में आंतरिक और गोपनीय रूप से इसकी निरंतरता की समीक्षा करेगा। इस तरह की समीक्षा करते समय सेबी द्वारा पखवाड़े के दौरान एफएसआई से निगरानी सूचियों/अलर्टों/ट्रिगर्स की संख्या को ध्यान में रखा जाएगा।
- (iii) योजना के संचालन के संबंध में ऐसे अन्य निर्देशों का अनुपालन, जो आर्थिक कार्य विभाग समय-समय पर सेबी को प्रदान कर सकता है।

16. जीएफसीडी की प्रबंधन समिति

- (i) ट्रस्ट के मामलों की देखरेख के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) द्वारा गठित एक प्रबंधन समिति (एमसी) होगी।
- (ii) ट्रस्ट के कामकाज की समीक्षा, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए एमसी जिम्मेदार होगा और योजना से संबंधित व्यापक नीतिगत मामलों पर ट्रस्ट / ट्रस्टी को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
- (iii) एमसी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से योजना में परिवर्तनों/संशोधनों की सिफारिश करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (iv) आर्थिक कार्य विभाग एमसी को ऐसी अन्य जिम्मेदारियां सौंप सकता है जो वह योजना के हित में आवश्यक समझे।
- (v) एमसी की संरचना निम्नानुसार होगी:
 - क) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, अध्यक्ष
 - ख) वित्तीय सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग, सदस्य
 - ग) अपर /संयुक्त सचिव, वित्तीय बाजार, आर्थिक कार्य विभाग, सदस्य
 - घ) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, सदस्य
 - ङ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), एनसीजीटीसी, सदस्य सचिव
 - च) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर नामित किए जाने वाले अन्य विशेषज्ञ।

- (vi) निगम अपनी बैठकों में उद्योग/संबंधित क्षेत्र के ऐसे विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है जिन्हें वह योजना के मामलों पर सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए "विशेष आमंत्रित सदस्य" के रूप में आवश्यक समझे।
- (vii) अपनी पदेन क्षमता में उपर्युक्त के रूप में नियुक्त सदस्य केवल तब तक सदस्य के रूप में रहेगा जब तक वह उस पद को धारण करता है और उस पद को खाली करने पर, उसका उत्तराधिकारी बिना किसी अन्य अधिनियम या विलेख के सदस्य बन जाएगा।
- (viii) आर्थिक कार्य विभाग, यदि आवश्यक हो, तो एक नई कॉरपोरेट इकाई को शामिल करके या अन्यथा एमसी के गठन को बदल सकता है।

[फा. सं. 1/13/2020-पीएम] सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

अनुबंध

"कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि (सीडीएमडीएफ)" की रूपरेखा

1. पृष्ठभूमि

1.1. भारत में कॉरपोरेट ऋण बाजार को विकसित करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 के एक भाग के रूप में कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों के लिए बैकस्टॉप सुविधा विकसित करने के संबंध में निम्नलिखित की घोषणा की:

"दबाव के समय कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में प्रतिभागियों के बीच विश्वास पैदा करने और आम तौर पर द्वितीयक बाजार में नकदी बढ़ाने के लिए, एक स्थायी संस्थागत ढांचा बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित निकाय दबावग्रस्त और सामान्य दोनों समय में निवेश ग्रेड ऋण प्रतिभूतियों की खरीद करेगा और बॉन्ड बाजार के विकास में मदद करेगा।"

- 1.2. जैसा कि ऊपर परिकल्पना की गई है, बैकस्टॉप सुविधा की उपलब्धता से बाजार अव्यवस्था के समय ऋण बाजार को स्थिरता प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रस्तावित सुविधा की परिकल्पना कॉरपोरेट ऋण बाजार में नकदी को सुविधाजनक बनाने और बाजार अव्यवस्था के समय में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए की गई है, ताकि निम्नलिखित को प्राप्त किया जा सके:
 - (i) कॉरपोरेट बांड बाजार में प्रतिभागियों का विश्वास पैदा करना।
 - (ii) कॉरपोरेट बांड बाजार में नकदी और स्थिरता लाने के लिए।
 - (iii) बाजार अव्यवस्था के समय जोखिम से बचने के लिए एएए से नीचे का दर्जा प्राप्त प्रतिभूतियों के लिए, "खरीदारों के लिए अंतिम उपाय" (बायर ऑफ लास्ट रिसोर्ट) वाली धारणा समाप्त करना।
 - (iv) बाजार अव्यवस्था के समय म्यूचुअल फंड योजनाओं में मोचन दबाव को कम करना।
 - (v) बड़े पैमाने पर निवेशकों के लिए नकदी की सुविधा प्रदान करना।

2. सीडीएमडीएफ का प्रस्तावित तंत्र

2.1. संरचना और कार्यकाल:

- (i) सीडीएमडीएफ की स्थापना सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 (एआईएफ विनियम) के तहत एक ट्रस्ट के रूप में एक वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के तौर पर की जाएगी।
- (ii) सीडीएमडीएफ को एक सीमित अवधि वाली स्कीम के रूप में लॉन्च किया जाएगा, जिसका प्रारंभिक कार्यकाल अंतिम तारीख से 15 साल का होगा। कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार की आवश्यकताओं के आधार पर, सेबी के परामर्श से एवं भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभिक अंतिम तारीख से 12 साल बाद पूरे ढांचे की समीक्षा की जाएगी।
- (iii) निधि के निवेश प्रबंधक-सह-प्रायोजक एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, एसबीआई म्यूचुअल फंड ("एसबीआई एएमसी") की आस्ति प्रबंधन कंपनी होगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक 'डीम्ड सरकारी कंपनी' है, क्योंकि इसका स्वामित्व और नियंत्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा किया जाता है। दिनांक 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार लेखा-परीक्षा खातों के अनुसार, एसबीआई

- फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एसबीआई एएमसी) में एसबीआई का लगभग 63% हिस्सेदारी है और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एएमयूएनडीआई इंडिया होल्डिंग के माध्यम से एएमयूएनडीआई एसेट मैनेजमेंट की लगभग 37% हिस्सेदारी है।
- (iv) एसबीआई एएमसी निधि का निपटानकर्ता होगा। एसबीआई द्वारा अपने बोर्ड के 2/3 स्वतंत्र निदेशकों को जोड़कर नई ट्रस्टी कंपनी स्थापित की जाएगी। निधि की इकाई धारक लाभार्थी होंगे।
- (v) सीडीएमडीएफ का शुल्क और व्यय सेबी बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा और समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।
- (vi) सीडीएमडीएफ की इकाइयों को म्यूचुअल फंड (एमएफ) की आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) और "विनिर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाओं" द्वारा खरीदा जाएगा (अर्थात, ओपन एंडेड ऋण उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाएं जिसमें ओवरनाइट फंड और गिल्ट फंड शामिल नहीं है और जिसमें कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड शामिल हैं)।
- (vii) विनिर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाएं अपने एयूएम का 25 बीपीएस सीडीएमडीएफ की इकाइयों में निवेश करेंगी। इसके अतिरिक्त, एएमसी को उनके द्वारा प्रबंधित विनिर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाओं के एयूएम के 2 बीपीएस के बराबर एकमुश्त योगदान देना होगा। विनिर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाओं और एएमसी से अंशदान तथा उस पर अभिमूल्यन सहित, यदि कोई हो, को निधि के समापन तक लॉक-इन किया जाना है। तथापि, अंशदान करने वाली एमएफ योजनाओं के समापन के मामले में, एक ही म्यूचुअल फंड के भीतर या म्यूचुअल फंड में अंतर-योजना का अंतरण किया जा सकता है।
- (viii) अतिरिक्त अंशदान के लिए यह निधि आंशिक रूप से खुली रहेगी;
 - क. एएमसी और नए एमएफ की विनिर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाएं।
 - ख. मौजूदा एमएफ की उक्त श्रेणियों की नई योजनाएं।
 - ग. एयूएम में वृद्धि के कारण उक्त श्रेणियों की सभी एमएफ योजनाएं।
- (ix) एमएफ योजनाओं द्वारा अंशदान एक निवेश है न कि व्यय, और इसलिए यह एमएफ योजनाओं की निवल आस्ति (एनएवी) का हिस्सा होगा, जिसमें संबंधित एमएफ योजना के इकाई धारकों द्वारा अभिदान और मोचन के उद्देश्य भी शामिल हैं।

2.2. कार्यकलाप:

- (i) सामान्य परिस्थितियों में, सीडीएमडीएफ केवल अपने निधि का उपयोग करके कम अवधि के सरकारी प्रतिभूति, टी-बिल, सरकारी प्रतिभूति पर त्रि-पक्षीय रेपो, एएए ऋण प्रतिभूतियों आदि जैसी नकदी और कम जोखिम वाले ऋण लिखतों का निपटान करेगा। उपयुक्त जोखिम प्रबंधन उपायों के अध्यधीन, निधि को रेपो, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग मैकेनिज्म (एसएलबीएम) आदि सहित कॉर्पोरेट ऋण बाजार से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों को करने की भी अनुमति दी जा सकती है, जैसा कि सेबी बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमति दी जा सकती है।
- (ii) बाजार अव्यवस्था की परिस्थिति में, सीडीएमडीएफ हिस्सेदार निवेशकों से पात्र कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदेगा और धारण करके रखेगा और बाजार में सुधार होने पर बेच देगा।
- (iii) सीडीएमडीएफ सेबी के परामर्श से बाजार अव्यवस्था के बाद बाजार की लगभग सामान्य स्थिति की निगरानी करेगा और बाजार अव्यवस्था अवधि के अंत से 3 महीने के उचित समय के भीतर अपनी हिस्सेदारी का बड़ा हिस्सा बेच देगा। तथापि, उपरोक्त समयसीमा को सेबी बोर्ड की मंजूरी से बढ़ाया जा सकता है।
- (iv) सीडीएमडीएफ द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों के लिए निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग और खरीद की तारीख पर शेष परिपक्वता 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीडीएमडीएफ असूचीबद्ध या निवेश ग्रेड से नीचे या डिफ़ॉल्ट ऋण प्रतिभूतियों या प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगा जिनके संबंध में डिफ़ॉल्ट या प्रतिकूल क्रेडिट समाचार या विचारों की महत्वपूर्ण संभावना है।

2.3. वित्तपोषण:

- (i) सेबी द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाओं और एएमसी के लिए निधि में अंशदान अनिवार्य होगा।
- (ii) विनिर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाएं निधि में अपने एयूएम का 25 बीपीएस (31 अगस्त, 2022 की स्थिति के अनुसार एयूएम के आधार पर लगभग 3,005 करोड़ रुपये) का अंशदान देंगी।
- (iii) एएमसी अपनी विनिर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाओं के एयूएम के 2 बीपीएस के बराबर एकमुश्त अंशदान देंगे। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के अंत में एक वर्ष के बाद जिसमें विनिर्दिष्ट योजना शुरू की गई थी, नए एमएफ के एएमसी भी अपनी विनिर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाओं के 2 बीपीएस के बराबर एकमुश्त अंशदान देंगे।
- (iv) यह निधि बैंकों या बांड बाजार या रेपो बाजार से कॉर्पस में योगदान का 10 गुना तक लाभ उठाने के लिए पात्र होगा, जिसमें अधिकतम 30,000 करोड़ रुपये तक एनसीजीटीसी द्वारा गांरटीयुक्त होगा।
- (v) विनिर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाएं अर्ध-वार्षिक आधार पर अपने एयूएम बढ़ने पर अतिरिक्त वृद्धिशील अंशदान प्रदान करेंगी। तथापि, यदि एयूएम घटता है तो सीडीएमडीएफ से कोई प्रतिलाभ या मोचन नहीं होगा।
- (vi) विनिर्दिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत मौजूदा एमएफ की नई योजनाएं या नए एमएफ की ऐसी योजनाएं भी अपने संबंधित एयूएम के 25 बीपीएस का अंशदान देंगी और उपरोक्त पैरा (v) के अनुसार वृद्धिशील अंशदान करेंगी।

2.4. निधि तक पहुंच

- (i) निधि तक पहुंच सेबी द्वारा अनुमोदित विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार म्यूचुअल फंड स्तर पर निधि में किए गए अंशदान के अनुपात में होगी।
- (ii) बाजार अव्यवस्था के दौरान विनिर्दिष्ट म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए निधि उपलब्ध होगी, जिसका उपयोग स्वैच्छिक होगा।

2.5. सीडीएमडीएफ के लिए शासन तंत्र

2.5.1. ट्रस्टी बोर्ड/ट्रस्टी कंपनी:

- (i) ट्रस्ट के गठन के समय, ट्रस्टी बोर्ड/ट्रस्टी कंपनी को सेबी बोर्ड की पूर्व मंजूरी के साथ नियुक्त किया जाएगा। सेबी की पूर्व अनुमित से ट्रस्टी कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी।
- (ii) ट्रस्टी बोर्ड/ट्रस्टी कंपनी में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे। शेष एक तिहाई में से एक सदस्य एएमएफआई द्वारा नामित किया जाएगा। ट्रस्टी बोर्ड/ट्रस्टी कंपनी की गतिविधियां निवेश प्रबंधक (आईएम) (अर्थात एसबीआई एएमसी) के अभिशासन मानकों और नीतियों को मंजूरी देना और फंड और आईएम की गतिविधियों की निगरानी करना होगा।
- (iii)ट्रस्टियों की भूमिका और जिम्मेदारियां सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 (एमएफ विनियम) के तहत ट्रस्टियों को सौंपी गई भूमिका और जिम्मेदारियों के समान होंगी। ट्रस्टी बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जो एआईएफ विनियमों के तहत आवश्यक निजी प्लेसमेंट मेमोरेंडम (पीपीएम) के प्रावधानों के साथ-साथ निर्दिष्ट अन्य जिम्मेदारियों के अनुपालन की समीक्षा करेगी।
- (iv)सीडीएमडीएफ की निवेश युक्ति में कोई भी बदलाव सेबी की पूर्व मंजूरी से ही हो सकता है।

2.5.2 अभिशासन समिति (जीसी):

- (i) जीसी की नियुक्ति निवेश प्रबंधक द्वारा की जाएगी और इसमें शिक्षाविदों, सीईओ या सीआईओ, जोखिम प्रबंधन पेशेवरों, स्वतंत्र बाजार विशेषज्ञों आदि सहित कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- (ii) निधि की सभी नीतियों को जीसी, आईएम बोर्ड और ट्रस्टी/ट्रस्टी कंपनी बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से अनुमोदित किया जाएगा।
- (iii) जीसी, निधि की नीतियों को मंजूरी देते समय, निधि के कार्यकलापों की निगरानी और निवेश सिमिति की निगरानी के लिए अधिक से अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएगी विशेष रूप से हितों के टकराव के प्रबंधन से संबंधित, यदि कोई हो।

- (iv) जीसी बाजार अव्यवस्था की स्थिति में आस्ति देनदारी के प्रबंधन से संबंधित विसंगतियों की निगरानी भी करेगा क्योंकि उधार ली गई धनराशि का उपयोग उस स्तर पर योजना की परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए किया जाएगा।
- 2.5.3. निवेश प्रबंधक के लिए निवेश सिमिति (आईसी) आंतरिक होगी और निधि की वास्तविक खरीद और बिक्री निर्णय सिहत निधि की विभिन्न गतिविधियां निष्पादित करेगी। उचित मूल्य से किसी भी विचलन को सीडीएमडीएफ की निवेश सिमिति द्वारा अनिवार्य रूप से अनुमोदित करने की आवश्यकता होगी।
- 2.5.4. प्रबंधन टीम आईएम का एक हिस्सा होगी जिसमें निधि प्रबंधन, व्यापार, जोखिम और अनुसंधान टीम आदि शामिल हैं और इसमें अनुभवी पेशेवर (जैसे निधि मैनेजर और जोखिम प्रबंधक) शामिल हैं।

2.6 बाजार अव्यवस्था का ट्रिगर और अवधि

- (i) कॉर्पोरेट ऋण बाजार के लिए क्षेत्रीय नियामक के रूप में, सेबी बोर्ड ऋण बाजार में व्यवधान के ट्रिगर का फैसला करेगा, जिससे बाजार अव्यवस्था के समय में बैकस्टॉप सुविधा संचालित होगी और परिणामस्वरूप एनजीसीटीसी द्वारा गारंटी को सक्रिय करने की आवश्यकता होगी।
- (ii) मॉडल के व्यापक पैरामीटर (अर्थात, फाइनेंशियल स्ट्रेस इंडेक्स (एफएसआई)) में भारत की नियत आय और विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जाएगा जिसमें भारतीय बॉन्ड बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार से संबंधित 10 संकेतक शामिल होंगे और भारत सरकार के परामर्श से सीखने के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, और इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। सूचकांक (एफएसआई) के ट्रिगर के संबंध में, इसे तुरंत सेबी बोर्ड के ध्यान में लाया जाना चाहिए और तदनुसार, बोर्ड स्थिति का व्यक्तिपरक मूल्यांकन करेगा। इस निर्णय को लेने के लिए, सेबी बोर्ड बाजार की स्थिति और हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाने वाले विभिन्न मापदंडों पर विचार करेगा, जिसमें एक मॉडल का आउटपुट भी शामिल है जो भारतीय कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में तनाव के संकेतों की पहचान करने के लिए इस उद्देश्य के लिए तैयार किया गया है।
- (iii) इसके अलावा, बाजार अव्यवस्था के समय, बैकस्टॉप की सुविधा कितनी अविध तक खुली रहेगी, का निर्णय सेबी बोर्ड द्वारा किया जाएगा और जिसका विस्तार किया जा सकता है।
- (iv) चूंकि सेबी बोर्ड में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और अन्य स्वतंत्र पेशेवरों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए सेबी को उस समय उनके दृष्टिकोण से लाभ होगा।
- (v) यदि 3 महीने की लगातार अवधि तक उपरोक्त मॉडल से कोई चेतावनी नहीं आती है, तो बाजार अव्यवस्था की अवधि समाप्त मानी जा सकती है।
- (vi) बाजार अव्यवस्था के समय फंड की गतिविधियों की सूचना एफएसडीसी और भारत सरकार को दी जाएगी।

2.7. एनसीजीटीसी के माध्यम से गारंटी पर आधारित उधार लेने की व्यवस्था

- (i) गारंटी बांड बाजार अव्यवस्था के ट्रिगर होने पर सक्रिय हो जाएगी। उक्त गारंटी के विरुद्ध निधि द्वारा आवश्यकतानुसार उधार लिया जाएगा।
- (ii) किसी भी समय, गारंटी 30,000 करोड़ रुपये की निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होगी।
- (iii) गारंटी शुल्क, जैसा कि भारत सरकार द्वारा तय किया गया है, का भुगतान गारंटी सुविधा का लाभ उठाने के समय दैनिक आनुपातिक बकाया ऋण राशि पर वार्षिक आधार पर किया जाएगा।
- (iv) निधि की अवधि के दौरान ट्रिगर के कई उदाहरण हो सकते हैं।
- (v) धारित आस्तियों की बिक्री से वसूली का निपटान उधार लेने वालों के दावे के संदर्भ में किया जाएगा।
- (vi) जैसा कि इस ढ़ाचे में निर्धारित है यदि कोई कमी हो तो हानि का अवशोषण वॉटरफॉल प्रणाली के अनुसार किया जाएगा।
- (vii) यदि वसूली उधार से अधिक है, तो निधि द्वारा अतिरिक्त को प्रतिधारित रखा जा सकता है
- (viii) गारंटी के वापस लेने के मामले में, अंतर्निहित बकाया बैंक ऋण/ ऋण दायित्वों का भुगतान एनजीसीटीसी द्वारा किया जाएगा।

(ix) उस अवधि के दौरान जब गारंटी पर उधार लेना बकाया है, यूनिटधारकों को कोई भुगतान (जहां अनुमित हो) नहीं किया जाना चाहिए।

2.8. बाजार अव्यवस्था के समय निवेश की प्रणाली

- (i) उक्त निधि मूल्यांकन के मौजूदा मानदंडों (तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट जोखिम के लिए समायोजित) के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य पर अंशदान करने वाली एमएफ योजनाओं से केवल द्वितीयक बाजार से 5 वर्ष की शेष परिपक्वता अविध वाले सूचीबद्ध निवेश श्रेणी की एकल कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों या उनका बास्केट खरीदेगा। पोर्टफोलियो स्तर पर, ऋण प्रतिभूतियां के विक्रेताओं को 90% नकद में और 10% सीडीएमडीएफ की इकाइयों के संदर्भ में भगतान किया जाएगा।
- (ii) निधि परिपक्वता तक कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों को रख सकता है या बाजार की अव्यवस्था कम होने पर द्वितीयक बाजार में बेच सकता है। चूंकि इसका उद्देश्य बाजार अव्यवस्था के समय तरलता प्रदान करना है, इसलिए सीडीएमडीएफ सेबी के परामर्श से बाजार के बाद की स्थिति की निगरानी करेगा और "फायर सेल्स" से बचते हुए बाजार अव्यवस्था अविध के अंत से 3 महीने की उचित समय अविध के भीतर अपनी धारिता का एक बड़ा हिस्सा बेच देगा। तथापि, सेबी बोर्ड के अनुमोदन से उपर्युक्त समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है।
- (iii) निधि बाजार अव्यवस्था के दौरान कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों के विक्रेता(ओं) से लेनदेन शुल्क ले सकता है और इसे निधि में जमा किया जाएगा। निधि से ऋण प्रतिभूतियों के खरीदारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में प्रणाली को जीसी, आईएम बोर्ड और ट्रस्टियों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (iv) सौदे का मूल्य जीसी, आईएम बोर्ड और ट्रस्टियों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार तय होगा।
- (v) निधि उचित मूल्य पर खरीद करेगा (तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट जोखिम के लिए समायोजित) लेकिन मजबूरन मूल्य पर नहीं।
- (vi) फंड द्वारा पोर्टफोलियो का मूल्यांकन तत् विषयक मौजूदा मानदंडों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा जैसा कि मौजूदा एमएफ नियामक प्रणाली के तहत लागू है। मूल्यांकन नीति को जीसी, आईएम बोर्ड और ट्रस्टियों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (vii) यदि सीडीएमडीएफ पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाली ऋण प्रतिभूतियों की रेटिंग निवेश श्रेणी से नीचे कम श्रेणी की जाती है, तो यह दैनिक एनएवी में परिलक्षित होगी।

2.9 नैतिक जोखिम शमन

2.9.1.विवेकपूर्ण मानदंड

- (i) निधि गैर-सूचीबद्ध या निवेश श्रेणी से नीचे के या डिफ़ॉल्ट ऋण प्रतिभूतियों या ऐसी प्रतिभूतियों को नहीं खरीदेगा जिनके संबंध में डिफ़ॉल्ट की भारी संभावना है या जिनके बारे प्रतिकूल क्रेडिट समाचार या विचार सामने आ रहे है।
- (ii) इसके अलावा, या तो पात्र जारीकर्ताओं की निवेश श्रेणी ऋण प्रतिभूतियों की सूची आईएम की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी अथवा विनिर्दिष्ट म्यूचुअल फंड योजनाओं से विभिन्न जारीकर्ताओं की ऋण प्रतिभूतियों की खरीद के लिए एक पारदर्शी प्रणाली का पालन किया जाएगा।
- (iii) सेबी बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। सबसे पहले शुरू करने के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं होंगी:
 - क. एकल जारीकर्ता सीमा कॉर्पस के कुल का 5% और अधिकतम अनुमेय ऋण;
 - ख. समूह सीमा कॉर्पस के कुल का 7.5% और अधिकतम अनुमेय ऋण
- (iv) किसी एक म्यूचुअल फंड से ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने की सीमा सेबी द्वारा अनुमोदित विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार उक्त एमएफ की सभी योजनाओं द्वारा निधि में कुल अंशदान के अनुपात में होगी

2.9.2 नुकसान अवशोषण वॉटरफॉल

नैतिक जोखिम के मुद्दे को एएमसी और अंशदान देने वाली एमएफ योजनाओं से स्कीन इन दा गेम के माध्यम से निपटाया जाता है। सीडीएमडीएफ तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट जोखिम के लिए समायोजित के बाद उचित मूल्य पर प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। इसके अलावा, पहले नुकसान का जोखिम निधि को बेचने वाली एमएफ योजनाओं के साथ होगा। क्षेत्रों का विवरण निम्नलिखित है:

| हानि | विवरण | राशि (आईएनआर) |
|-----------|---|-------------------------|
| अवशोषण का | | |
| स्तर | | |
| पहला | निधि को ऋण प्रतिभूतियों की बिक्री करने वाली एमएफ योजनाओं द्वारा 10% तक (यानी, सीडीएमडीएफ को प्रतिभूतियों की बिक्री के संदर्भ में एमएफ योजनाओं को बेची गयी बकाया इकाइयों के बराबर) | ~ 3,600 करोड़ रुपये तक। |
| दूसरा | विनिर्दिष्ट ऋण उन्मुख एमएफ योजनाओं और एएमसी का योगदान | ~ 3,245 करोड़ रुपये तक। |
| तीसरा | सरकारी गारंटी | ~ 30,000 करोड़ रुपये तक |

^{*31} अगस्त, 2022 तक विनिर्दिष्ट ऋण-उन्मुख एमएफ योजनाओं के एयूएम के आधार पर और एयूएम के आधार पर भिन्न हो सकते हैं

2.10. रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र

- (i) एआईएफ होने के नाते सीडीएमडीएफ को एआईएफ विनियमों के तहत सेबी द्वारा विनियमित किया जाएगा। इकाई के कार्यनीतिक महत्व को देखेते हुए, सेबी को आवधिक रिपोर्टिंग (मासिक आधार) के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा।
- (ii) सीडीएमडीएफ के निवेश और परिचालन मामलों के संबंध में भारत सरकार को तिमाही आधार पर रिपोर्ट की जाएगी।
- (iii) बाजार अव्यवस्था के समय, यदि प्रतिभूतियों को एनजीसीटीसी से गारंटी के तहत उधार लेकर खरीदा जाता है, तो पोर्टफोलियो की दैनिक रिपोर्टिंग होगी और ऋण प्रतिभूतियों की खरीद के लिए शेष उपलब्ध हेडरूम की सूचना एनजीसीटीसी, भारत सरकार और सेबी को दी जाएगी।
- (iv) उपर्युक्त रिपोर्टिंग के लिए विस्तृत प्रारूप सेबी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (v) भारत सरकार किसी भी समय सेबी के माध्यम से सीडीएमडीएफ से वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में इसकी गतिविधियों से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में या प्रणालीगत जोखिम के आकलन या धोखाधड़ी को रोकने के लिए किसी भी सूचना की मांग कर सकती है।

2.11. सेबी की भूमिका

- (i) सेबी बोर्ड ऋण बाजार में व्यवधान के कारण पर निर्णय लेगा, जिसके लिए बैकस्टॉप सुविधा को बाजार अव्यवस्था के समय में संचालित करने की आवश्यकता होगी और इसके परिणामस्वरूप एनजीटीसी द्वारा गारंटी को सक्रिय करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, बैकस्टॉप सुविधा कितनी अविध के लिए प्राप्त होगी, इसका निर्णय भी सेबी बोर्ड द्वारा लिया जायेगा।
- (ii) एआईएफ होने के नाते सीडीएमडीएफ को एआईएफ विनियमों के तहत सेबी द्वारा विनियमित किया जाएगा।
- (iii) ट्रस्टी कंपनी की नियुक्ति सेबी बोर्ड द्वारा की जाएगी। ट्रस्टी कंपनी के निदेशकों को भी सेबी के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।
- (iv) सीडीएमडीएफ की निवेश कार्यनीति में परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन से ही होगा।
- (v) सीडीएमडीएफ सेबी के परामर्श से बाजार अव्यवस्था के बाद बाजार की लगभग सामान्य स्थिति की जांच करेगा और बाजार अव्यवस्था अविध के अंत से 3 महीने की उचित समय अविध के तहत अपनी होल्डिंग्स का एक बड़ा भाग बेच देगा। तथापि, सेबी बोर्ड के अनुमोदन से उपर्युक्त समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है।
- (vi) सेबी को निधि की गतिविधियों की आवधिक रिपोर्टिंग (मासिक आधार)। इसके अतिरिक्त, बाजार अव्यवस्था के समय निधि की गतिविधियों को दैनिक आधार पर सेबी बोर्ड, एफएसडीसी और भारत सरकार को सूचित किया जाएगा। उपर्युक्त रिपोर्टिंग के लिए विस्तृत प्रारूप सेबी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (vii) एक बार बैकस्टॉप सुविधा सक्रिय हो जाने के बाद, सेबी हर पखवाड़े आंतरिक और गोपनीय रूप से इसकी निरंतरता की समीक्षा करेगा। ऐसी समीक्षा करते समय सेबी द्वारा पखवाड़े के दौरान एफएसआई से

निगरानी सूचियों/अलटोंं/ट्रिगर्स की संख्या को संज्ञान में रखा जाएगा। इस तरह की पाक्षिक समीक्षा के बाद, यदि सेबी बोर्ड यह निर्णय लेता है कि बैकस्टॉप सुविधा वापस ली जा सकती है, तो बाजार को दो दिन के नोटिस के साथ सुविधा वापस ले ली जायेगी।

(viii) यदि पूर्वोक्त तंत्र से कोई चेतावनी 3 महीने की निरंतर अवधि के लिए दिखाई नहीं देती है तो बाजार अव्यवस्था अवधि को समाप्त माना जा सकता है।

2.12 प्रकटीकरण

- (i) यूनिटधारकों को एनएवी के दैनिक प्रकटीकरण के लिए एक तंत्र होगा।
- (ii) फंड के पोर्टफोलियो का खुलासा पाक्षिक आधार पर यूनिटधारकों को किया जाएगा।
- (iii) सीडीएमडीएफ में अपने निवेश के संबंध में प्रकटीकरण के लिए एएमसी और एमएफ योजनाओं पर लागू मानदंडों को एमएफ के लिए नियामक ढांचे के तहत उचित रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।

2.13 सीएजी द्वारा सीडीएमडीएफ की लेखा परीक्षा

एसबीआई एएमसी द्वारा शुरू किए जा रहे सीडीएमडीएफ की लेखा परीक्षा सी एंड एजी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जा सकती है, इससे संबंधित प्रावधानों को सीडीएमडीएफ के ट्रस्ट डीड में उपयुक्त ढ़ंग से सम्मिलित किया जाएगा। आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) सी एंड एजी से निधि के लिए लेखा परीक्षकों को नियुक्त करने का अनुरोध करेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department oF Economic Affairs)

(FINANCIAL MARKETS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2023

G.S.R. 559(E).—The Central Government has approved the 'Guarantee Scheme for Corporate Debt' (GSCD) for the purpose of providing guarantee cover against debt raised/ to be raised by Corporate Debt Market Development Fund (CDMDF).

1. Name of the Scheme/Fund

The Scheme shall be named as Guarantee Scheme for Corporate Debt (GSCD) and the Trust/ Fund to manage the scheme shall be named as Guarantee Fund for Corporate Debt (GFCD).

GFCD shall be a Trust Fund formed by Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance, Government of India and shall be managed by National Credit Guarantee Trustee Company Ltd. (NCGTC), a wholly owned company of the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, Government of India.

2. Purpose of the Scheme

To provide 100% guarantee cover against debt raised/to be raised by CDMDF, an Alternative Investment Fund (AIF) created/ to be created under relevant SEBI Regulations, for the purpose of investing in corporate debt securities at times of market dislocation with a view to stabilize the markets. The guarantee shall cover debt raised, along with interest accrued and other bank charges thereon, and shall not exceed Rs.30,000 crore. The framework for CDMDF has been detailed in **Annexure**.

3. Date of commencement

The scheme guidelines shall come into force from the date of issue of this Notification.

4. Duration of scheme

The Scheme would be initially for a period of 15 years from the initial closing date of CDMDF, extendable at the discretion of the DEA in consultation with SEBI.

5. Definitions

For the purposes of this Scheme -

(i) "Backstop Facility" refers to the institutional framework being created to enable purchase of investment grade debt securities, particularly during market dislocation.

- (ii) "Corporate Debt Market Development Fund (CDMDF)" means an Alternative Investment Fund (AIF) created/ to be created under SEBI Regulations, for the purpose of investing in corporate debt securities at times of market dislocation with a view to stabilize the markets.
- (iii) "Corpus of CDMDF" means total funds committed at CDMDF;
- (iv) "Framework" means the framework of CDMDF
- (v) **"Investment Grade Debt Securities"** means debt securities with minimum rating of "BBB- (triple B minus)" or equivalent as assessed by a credit rating agency registered with SEBI at the time of making investments.
- (vi) "Member Lending Institutions (MLIs)" means lending institutions including Scheduled Commercial Banks/ other financial intermediary approved by GFCD.
- (vii) "Tenure of Guarantee Cover" means the maximum period of guarantee cover;
- (viii) "Market Dislocation" refers to the stress in the financial sector of the economy and shall be decided by the SEBI Board as per the Framework.

6. Eligible Unitholders of CDMDF and their contribution

Eligible members of CDMDF shall be:

- (i) Debt-oriented Mutual Fund schemes, as may be specified by SEBI from time to time. These schemes shall contribute 25 bps of their Assets Under Management (AUM) and provide additional incremental contributions as their AUM increases on half-yearly basis.
- (ii) Existing/ new Asset Management Companies (AMCs) of specified debt-oriented MF schemes shall make a one-time contribution equivalent to 2 bps of their AUM.

The contributions made by the Debt-oriented Mutual Fund schemes and AMC thereof shall be held in the form of investment in units of CDMDF by the contributors.

7. Activities of CDMDF

Some basic features of the Framework are given hereunder:

- (i) Activities of CDMDF shall be monitored by SEBI on regular basis;
- (ii) In normal times, CDMDF shall deal only in liquid and low-risk debt instruments, using only its corpus;
- (iii) In times of market dislocation, CDMDF shall be eligible to raise debt not exceeding 10 times of contribution to its corpus from banks or bond market or repo market, subject to maximum guarantee of Rs. 30,000 crore under the Scheme;
- (iv) The corpus of CDMDF and debt so raised by CDMDF shall be utilized to purchase and hold eligible corporate debt securities of investment grade from the participating investors with residual maturity not exceeding 5 years;
- (v) CDMDF will offload a large part of its holdings within a reasonable time of 3 months from the end of market dislocation period. However, the timeline may be extended with the approval of SEBI Board.

8. Guarantee Issue and Monitoring Mechanism

- (i) The MLI, after due screening of the application of CDMDF, shall sanction the loan to CDMDF and enter the requisite details on NCGTC's portal designed for the said purpose.
- (ii) A Guarantee Number, based on preliminary screening by the portal and approval by NCGTC, shall be auto generated indicating the availability of guarantee on the said loans.
- (iii) Once the guarantee number is issued to MLI, the MLI shall enter the details of the loans disbursed to CDMDF on NCGTC's portal within two days of disbursement.
- (iv) CDMDF shall arrange to forward details of utilization of the loans on NCGTC's portal on a daily basis.
- (v) The authorized person of CDMDF shall enter the details of the sale of debt instruments on NCGTC's portal on the day of sale itself.
- (vi) The guarantee against the drawl amount shall remain valid for the period of five years from the last day of market dislocation. However, guarantee shall be valid upto the date of claim in case of claim.

9. Guarantee Settlement Mechanism

(i) CDMDF shall enter the details of settlement made as per the waterfall mechanism explained in the

framework along with a Statutory Auditor Certificate in this regard;

- (ii) Based on the loss estimated, along with the Statutory Auditor Certificate certifying the loss incurred, the MLI shall submit claim on NCGTC's portal.
- (iii) Based on the details at (i) & (ii) above, if any payout is made by GFCD at any stage, then NCGTC shall assess the same and arrange to pay the guaranteed amount to MLI in the next 60 days.

10. Guarantee Fee

GFCD shall charge guarantee fee at 0.5% p.a. of outstanding loans on daily pro-rata basis (i.e. for the period for which loans are raised) till a claim is lodged. This fee shall be paid by the MLIs. The demand advice for guarantee fees shall be auto generated and forwarded to the authorized officer of the MLIs on 1st day of each quarter for loans outstanding during the previous quarter. The MLIs shall recover this guarantee fee from CDMDF.

11. Agreement to be executed by the CDMDF

CDMDF shall submit a duly signed undertaking to NCGTC for the operation of the Scheme, as per format to be made available and arrange to make payment of the applicable guarantee fee to the MLIs.

12. Agreement to be executed by the MLIs

A MLI shall not be entitled to a guarantee in respect of eligible loans granted by it to CDMDF unless it has submitted a duly signed undertaking to NCGTC, as per format to be made available.

13. Responsibilities of CDMDF under the Scheme

- (i) Furnish the updated details of the contributors of CDMDF on NCGTC's portal from time to time.
- (ii) Raise loans from the MLIs as per policy approved by the Board of CDMDF.
- (iii) Payment of Guarantee fees to the MLIs from time to time.
- (iv) Follow a transparent mechanism for purchasing the eligible debt securities and compliance of all prudential norms as given in the framework and prescribed by SEBI from time to time.
- (v) Arrange to provide price movement of purchased debt securities on a daily basis during the period till loan is outstanding;
- (vi) Ensure to provide statements and information as GFCD may require

14. Responsibilities of the MLIs under the Scheme

- (i) Payment of Guarantee fees to GFCD from time to time;
- (ii) Ensure to provide statements and information as GFCD may require;
- (iii) Comply with such directions as may be issued by GFCD from time to time with regard to the scheme guidelines.

15. Responsibilities of SEBI under the Scheme

- (i) Creation of CDMDF;
- (ii) Once the backstop facility is activated, i.e. market dislocation is declared, then SEBI will review its continuation internally and confidentially every fortnight. While making such reviews, the number of Watch Lists/ Alerts/ Triggers from the FSI during the fortnight would be factored in by SEBI;
- (iii) Comply with such other directions, regarding the operation of the Scheme, that DEA may provide to SEBI from time to time.

16. Management Committee of GFCD

- (i) There shall be a Management Committee (MC) constituted by the Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance to oversee the affairs of the Trust.
- (ii) The MC shall be responsible for reviewing, supervising and monitoring the functioning of the Trust and shall provide necessary guidance to the Trust/Trustee on broad policy matters related to the Scheme.
- (iii) The MC shall be fully empowered to recommend changes/modifications in the scheme as it may deem fit, for approval of the Competent Authority.

- (iv) DEA may entrust the MC with such other responsibilities as it may deem necessary in the interest of the scheme.
- (v) The structure of the MC shall be as under:
 - a) Secretary, DEA, Chairperson
 - b) Financial Advisor, DEA, Member
 - c) Additional/Joint Secretary, Financial Market, DEA, Member
 - d) Joint Secretary, Department of Financial Services, Member
 - e) Chief Executive Officer (CEO), NCGTC, Member Secretary
 - f) Other Experts as may be nominated by the Secretary, DEA from time to time.
- (vi) The MC may invite to its meetings such expert(s) from the industry/relevant field as it may consider necessary as "Special Invitee(s)" for seeking advice and guidance on the matters of the Scheme.
- (vii) A member appointed as above in his/ her ex-officio capacity shall remain as a member only as long as he/ she holds that office and upon his/ her vacating that office, his/ her successor shall become a member without any further Act or Deed.
- (viii) DEA may, if required, change the constitution of the MC by incorporating a new corporate entity or otherwise.

[F. No. 1/13/2020-PM]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.

Annexure

Framework for "Corporate Debt Market Development Fund (CDMDF)"

1. Background

1.1 With the aim to develop the corporate debt market in India, the Central Government, as part of the Union Budget 2021-22 announced the following regarding developing a Backstop Facility for corporate debt securities:

"To instill confidence amongst the participants in the Corporate Bond Market during times of stress and to generally enhance secondary market liquidity, it is proposed to create a permanent institutional framework. The proposed body would purchase investment grade debt securities both in stressed and normal times and help in the development of the Bond market".

- 1.2 Availability of a Backstop Facility as envisaged above is expected to provide stability to the debt market during times of market dislocation. The proposed facility is envisaged to facilitate liquidity in the corporate debt market and to respond quickly in times of market dislocation, to achieve the following:
 - (i) To build confidence of participants in the Corporate Bond Market.
 - (ii) To bring liquidity and stability in the Corporate Bond Market.
 - (iii) To address risk aversion during times of market dislocation including for securities rated below AAA, as a "Buyer of last resort".
 - (iv) To ease redemption pressures in mutual fund schemes during times of market dislocation.
 - (v) To facilitate liquidity for investors at large.

2. Proposed Mechanism of CDMDF

2.1 Structure and Tenure:

- (i) CDMDF would be set up as an Alternative Investment Fund (AIF) in the form of a Trust under SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 (AIF Regulations).
- (ii) CDMDF shall be launched as a closed-ended scheme with an initial tenure of 15 years from the date of its initial closing. Based on the requirements of the corporate bond market, the tenure can be extended with prior approval of the Government of India in consultation with SEBI. The entire framework shall be reviewed after 12 years from the date of its initial closing.
- (iii) The Investment Manager-cum-Sponsor of the Fund shall be SBI Funds Management Ltd., the Asset Management Company of SBI Mutual Fund ("SBI AMC"), which is a 'Deemed Government Company' under the Companies Act, 2013, as it is owned and controlled directly or indirectly by

- the Government. As per the audited accounts as on March 31, 2021, SBI holds ~63% stake in SBI Funds Management Limited (SBI AMC) and ~37% stake is held by AMUNDI Asset Management through a wholly owned subsidiary, AMUNDI India Holding.
- (iv) SBI AMC will be the settlor of the Fund. A new trustee company will be set up by SBI with 2/3rd independent directors in its Board. Unit holders of the Fund shall be the beneficiary.
- (v) The fees and expenses of CDMDF shall be decided by the SEBI Board and will be reviewed from time to time.
- (vi) The units of CDMDF shall be subscribed by Asset Management Companies (AMCs) of Mutual Funds (MFs) and "specified debt-oriented MF Schemes" (i.e., Open ended Debt oriented Mutual Fund schemes excluding Overnight funds and Gilt funds and including Conservative Hybrid funds).
- (vii) Specified debt-oriented MF Schemes shall invest 25 bps of their AUM in the units of CDMDF. Further, AMCs shall make a one-time contribution equivalent to 2 bps of the AUM of specified debt-oriented MF Schemes managed by them. Contribution from specified debt-oriented MF schemes and AMCs, including the appreciations on the same, if any, is to be locked-in till winding up of the Fund. However, in case of winding up of contributing MF Schemes, inter-scheme transfers within the same mutual fund or across mutual funds may be undertaken.
- (viii) The Fund shall remain partially open for additional contributions by:
 - a. AMCs and specified debt-oriented MF Schemes of new MFs.
 - b. New schemes of the said categories of existing MFs.
 - c. All MF Schemes of the said categories due to increase in AUM.
- (ix) Contribution by MF schemes is an investment and not an expense, and hence shall form part of Net Assets (NAV) of MF schemes, including for the purpose of subscriptions and redemptions by unitholders of concerned MF scheme.

2.2 Activities:

- (i) In normal times, the CDMDF shall deal only in liquid and low-risk debt instruments such as low duration G-Secs, T-bills, Tri-party Repo on G-sec, AAA debt securities etc. using only its corpus. The Fund may also be permitted to undertake various activities related to corporate debt market including repo, Securities Lending and Borrowing Mechanism (SLBM), etc., as may be permitted by SEBI Board from timeto time, subject to suitable risk management measures.
- (ii) In times of market dislocation, CDMDF shall purchase and hold eligible corporate debt securities from the participating investors and sell as markets recover.
- (iii) CDMDF will monitor the near normalcy of the market post market dislocation in consultation with SEBI and offload a large part of its holdings within a reasonable time of 3 months from the end of the market dislocation period. However, the above timeline may be extended with the approval of SEBI Board.
- (iv) The securities purchased by CDMDF need to have an investment grade credit rating and residual maturity not exceeding 5 years on the date of purchase. CDMDF shall not buy unlisted or below investment grade or defaulted debt securities or securities in respect of which there is a material possibility of default or adverse credit news orviews.

2.3 Funding:

- (i) The contribution to the Fund shall be mandatory for the specified debt-oriented MF Schemes and AMCs as laid down by SEBI.
- (ii) Specified debt-oriented MF Schemes shall contribute 25 bps of their AUM to the Fund (~Rs. 3,005, Cr. based on AUM as on August 31, 2022).
- (iii) AMCs shall make a one-time contribution equivalent to 2 bps of the AUM of their specified debtoriented MF schemes. Further, AMCs of new MFs shall also make a one-time contribution equivalent to 2 bps of their specified debt-oriented MF schemes, based on the AUM at the end of the financial year following the one in which the specified scheme(s) are launched.
- (iv) The Fund will be eligible to take leverage of up to 10 times of contribution to corpus, from banks or bond market or repo market which shall be guaranteed by NCGTC up to a maximum of Rs. 30,000

Cr.

- (v) Specified debt-oriented MF Schemes shall provide additional incremental contribution as their AUM increases, on half-yearly basis. However, if AUM decreases there shall be no return or redemption from CDMDF.
- (vi) New schemes from existing MFs under the specified categories or such schemes of new MFs shall also contribute 25 bps of their respective AUM and make incremental contribution in accordance with para (v) above.

2.4 Access to the Fund

- Access to the Fund shall be in proportion to the contribution made to the Fund at a mutual fund level in accordance with detailed guidelines as may be approved by SEBI.
- (ii) The Fund shall be available to specified mutual fund Schemes during market dislocation, utilization of which shall be voluntary.

2.5 Governance Mechanism for CDMDF

2.5.1. Board of Trustees/Trustee Company:

- (i) At the time of constitution of the trust, the Board of Trustees/Trustee Company, shall be appointed with prior approval of the SEBI Board. The Directors of the Trustee Company shall be appointed with prior approval of SEBI.
- (ii) Board of Trustees/ Trustee Company will comprise two-third of Independent Directors. Of the remaining one-third, one member shall be nominated by AMFI. The activities of the Board of Trustees/ Trustee Company would be to approve governance standards and policies of the Investment Manager (IM) (i.e. SBI AMC) and monitor activities of the Fund and the IM.
- (iii) The role and responsibilities of trustees would be similar to the role and responsibilities assigned to trustees under SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 (MF Regulations). An Audit Committee of the Board of Trustee shall be constituted, which shall review compliance with the provisions of Private Placement Memorandum (PPM) as required under AIF Regulations along with other responsibilities as may be specified.
- (iv) Any change in investment strategy of the CDMDF may only be with the prior approval of SEBI.

2.5.2. Governance Committee (GC):

- (i) GC will be appointed by the Investment Manager and shall comprise corporate bond market experts including academicians, CEOs or CIOs, risk management professionals, independent market experts, etc.
- (ii) All the policies of the Fund shall be jointly approved by the GC, Board of IM and Board of Trustee/Trustee Company.
- (iii) GC, while also approving the policies of the Fund, would take a more hands-on approach to supervise the activities of the Fund and oversight of the Investment Committee, especially relating to management of conflict of interest, if any.
- (iv) GC will also have oversight on management of asset liability mismatches during times of market dislocation as borrowed money would be used to purchase assets of the scheme at that stage.
- 2.5.3. **The Investment Committee (IC)** shall be internal to the Investment Manager and would perform various activities of the Fund, including the actual buy and sell decisions of the Fund. Any deviation from the fair price would need to be mandatorily approved by the Investment Committee of the CDMDF.
- 2.5.4. **Management Team** would be a part of IM which includes the fund management,trading, risk and research team etc. and comprises experienced professionals (suchas fund managers and risk managers).

2.6 Trigger and Duration of Market Dislocation

- (i) As the Sectoral Regulator for Corporate Debt Market, the SEBI Board shall decide the trigger of debt market disruption warranting the Backstop Facility to operate in times of market dislocation and consequently the need for activation of the guaranteeby the NGCTC.
- (ii) The broad parameters of the model (i.e., Financial Stress Index (FSI)) shall use India Fixed Income & Forex comprising of 10 indicators pertaining to Indian Bond market and Forex market and as may be modified from time to time based on learnings, in consultation with the Government of India and the same shall be placed in public domain. In case of trigger of the index (FSI), it should be immediately brought to the notice of the SEBI Board and accordingly, the Board will make the subjective assessment of the situation. In order

- to take this decision, the SEBI Board shall consider various parameters reflecting the status of the market and the need for intervention including the output of a model which has been prepared for this purpose to identify signals of stress in the Indian corporate bond market.
- (iii) Further, during times of market dislocation, the period for which the Backstop Facility will be open shall be decided by the SEBI Board and which can be extendable.
- (iv) Since SEBI Board has representatives from Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Corporate Affairs (MCA), Reserve Bank of India (RBI) and other independent professional, thus SEBI would be benefited from their perspectives at that time.
- (v) The market dislocation period may be considered to have ended, if no alert from theaforesaid model appears for a continuous period of 3 months.
- (vi) The activities of the fund during times of market dislocation shall be reported to the FSDC and the Government of India.

2.7 Mechanism of Borrowing based on Guarantee through NCGTC

- (i) The guarantee shall become operative upon trigger of bond market dislocation. Borrowing shall be drawn by the Fund as required, against the said Guarantee.
- (ii) At any point in time, guarantee will not exceed the specified amount of Rs. 30,000 Cr.
- (iii) Guarantee fee, as decided by the Government of India, shall be paid at the time of availing the guarantee facility on an annual basis on the outstanding loan amount daily pro rata.
- (iv) Over the tenure of the Fund there could be multiple instances of trigger.
- (v) The recovery from sale of assets held shall be settled against the claim from borrowing.
- (vi) Shortfall, if any, is to be absorbed in accordance with the waterfall mechanism for loss absorption as laid down in this framework.
- (vii) If recovery is greater than the borrowing, excess can be retained by the Fund
- (viii) In case of invocation of guarantee, underlying outstanding bank loans/debt obligations, would be paid by the NGCTC.
- (ix) During the period when borrowing against the guarantee is outstanding, no payouts (wherever permitted) to unitholders should be made.

2.8 Mechanism of investment during times of Market Dislocation

- (i) The Fund shall buy single or basket of listed investment grade corporate debt securities with tenure not exceeding residual maturity of 5 years only from the secondary market from the contributing MF schemes at fair price determined as per existing norms of valuation (adjusted for liquidity risk, interest rate risk and credit risk). At a portfolio level, the sellers of debt securities would be paid 90% of the consideration in cash and 10% in terms of units of CDMDF.
- (ii) The Fund can hold the corporate debt securities till maturity or can sell the same in the secondary market when the market dislocation eases out. Since the objective is to provide liquidity at times of market dislocation, CDMDF will monitor the market post market dislocation in consultation with SEBI and offload a large part of its holdings within a reasonable time period of 3 months from the end of market dislocation period, while avoiding "fire sales". However, the above timeline may be extended with approval of SEBI Board.
- (iii) The Fund may charge a transaction fee from the seller(s) of the corporate debt securities during market dislocation and the same will be credited to the Fund. No fee is to be charged to buyers of debt securities from the Fund. The policy in this regard shall be approved by GC, the Board of IM and Trustees.
- (iv) Trading Price will be as per the policy approved by the GC, Board of IM and Trustees.
- (v) The Fund shall purchase at a fair price (adjusted for liquidity risk, interest rate risk and credit risk) but not at distress price.
- (vi) The valuation of the portfolio by the Fund shall be governed by the existing norms on valuation as applicable under the extant MF Regulatory framework. The valuation policy shall be approved by the GC, Board of IM and Trustees.
- (vii) In case the rating of the debt securities forming part of the CDMDF portfolio is downgraded below investment grade, the same shall be reflected in daily NAV.

2.9 Moral Hazard Mitigation

2.9.1. Prudential Norms

- (i) The Fund shall not buy unlisted or below investment grade or defaulted debt securities or such securities in respect of which there is a material possibility of default or adverse credit news or views.
- (ii) Further, either a list of investment grade debt securities of eligible issuers shall be disclosed on the website of the IM or a transparent mechanism is to be followed for purchasing of debt securities of various issuers from specified mutual fund schemes.
- (iii) Prudential limits shall be as decided by the SEBI Board from time to time. To begin with the following would be the prudential limits:
 - a. Single issuer limit-5% of the aggregate of the corpus and maximum permissible debt;
 - b. Group limits 7.5% of the aggregate of the corpus and maximum permissible debt
- (iv) Limit for buying debt securities from a single MF shall be in proportion to aggregate contribution by all the schemes of the said MF to the Fund in accordance with detailed guidelines as may be approved by SEBI.

2.9.2. Loss Absorption Waterfall

The issue of moral hazard is addressed by way of skin in the game from AMCs and the contributing MF schemes. The CDMDF shall buy securities at fair price adjusted for liquidity risk, interest rate risk and credit risk. Further, the risk of first loss shall rest with MF schemes selling to the Fund. Details of the same areas under:

| Level of loss absorption | Particulars | Amount. (INR) |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| st 1 | Up to 10% by MF schemes selling debt securities to the Fund (i.e., equivalent to the units outstanding of the selling MF schemes issued to them against sale of securities to CDMDF) | |
| 2 nd | Contribution of specified debt-orientedMF Schemes and AMCs | ~ Upto Rs. 3,245 cr.* |
| 3 rd | Government Guarantee | ~ Upto Rs. 30,000 cr. |

^{*}Based on AUM of specified debt-oriented MF Schemes as on August 31, 2022 and may vary depending on AUM

2.10 Reporting and Monitoring Mechanism

- (i) CDMDF being an AIF will be regulated by SEBI under AIF Regulations. Considering the strategic importance of the entity, a mechanism shall be developed for periodic reporting (monthly basis) to SEBI.
- (ii) The reporting to the Government of India shall be made on quarterly basis regarding investment and operational affairs of the CDMDF.
- (iii) During times of market dislocation, if securities are purchased by borrowings under guarantee from NGCTC, there shall be daily reporting of the portfolio and the remaining available headroom for purchase of debt securities, to NGCTC, Government of India and SEBI.
- (iv) The detailed format for the above reporting shall be prescribed by SEBI.
- (v) The Government of India may at any time call for any information from the CDMDF through SEBI with respect to any matter relating to its activities as an Alternative Investment Fund or for the assessment of systemic risk or prevention of frauds.

2.11 Role of SEBI

- (i) The SEBI Board shall decide the trigger of debt market disruption warranting the Backstop Facility to operate in times of market dislocation and consequently the need for activation of guarantee by the NGCTC. Further, the period for which the Backstop Facility will be open shall also be as decided by the SEBI Board.
- (ii) CDMDF being an AIF will be regulated by SEBI under AIF Regulations.
- (iii) The Trustee Company shall be appointed by the SEBI Board. The directors of the Trustee Company shall be appointed with prior approval of SEBI.

- (iv) Change in investment strategy of CDMDF would only be with prior approval of SEBI.
- (v) CDMDF will monitor the near normalcy of the market post market dislocation in consultation with SEBI and offload a large part of its holdings within a reasonable time period of 3 months from the end of market dislocation period. However, the above timeline may be extended with the approval of SEBI Board.
- (vi) Periodic reporting (monthly basis) of the activities of the Fund to SEBI. Further, the activities of the Fund during times of market dislocation shall be reported to the SEBI Board, FSDC and the Government of India on daily basis. The detailed format for the above reporting shall be prescribed by SEBI.
- (vii) Once the backstop facility is activated, SEBI will review its continuation internally and confidentially every fortnight. While making such reviews, the number of Watch Lists/ Alerts/ Triggers from the FSI during the fortnight would be factored in by SEBI. Subsequent to such fortnightly review, if the SEBI Board comes to a view that backstop facility could be withdrawn, the facility can then be withdrawn with two days' notice to the market.
- (viii) The market dislocation period may be considered to have ended, if no alert from the aforesaid model appears for a continuous period of 3 months.

2.12 Disclosures

- (i) There shall be a mechanism for daily disclosure of NAV to the unitholders.
- (ii) The portfolio of the Fund would be disclosed to the unitholders on fortnightly basis.
- (iii) The norms applicable to AMCs and MF schemes for disclosure in respect of their investments in CDMDF shall be specified appropriately under the regulatory framework for MFs.

2.13 Audit of CDMDF by CAG

CDMDF being floated by SBI AMC may be audited by auditors appointed by C&AG, provisions relating to the same shall be appropriately incorporated in the trust deed of CDMDF. Department of Economic Affairs (DEA) would request C&AG to appoint auditors for the Fund.